संख्या-3/2019/1422/31-2019-65/2014टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी,
(संलग्नक-1 के अनुसार)
उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग **लखनऊः दिनांकः 19 सितम्बर, 2019**

विषयः-शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में जारी शासनादेश संख्याः-3/2018/1541/31-2018-65/2014 टी0सी0, दिनांकः 23 जुलाई, 2019 एवं शासनादेश संख्याः-970/31-2019-65/ 2014 टी0सी0-1, दिनांकः 10 जून, 2019 को अवक्रमित करते हुए शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण तथा जनसमस्याओं का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित कराने हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्येक जनपद हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद भ्रमण के दौरान नोडल अधिकारियों द्वारा अपने आवंटित जनपद की समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण निम्नानुसार किए जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(2.1) सभी नोडल अधिकारी अपने आवंटित जनपद में प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में दो दिन का भ्रमण करेंगे। **प्रथम दिन** नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित जनपद में पूर्वान्ह 10:00 बजे तक अवश्य पहुँच कर **कम से कम दो** कार्यालयों यथा कलेक्ट्रेट, थाना, तहसील, विकास खण्ड, शिक्षा भवन, चिकित्सालय आदि का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान आम जनता की मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के साथ कार्यालयों की साफ-सफाई, रंगाई पुताई आदि पर फोकस करेंगे।

(2.2) कार्यालयों का निरीक्षण करते समय यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि आम जनता को कार्यालयों में आने पर उनकी समस्याओं का निराकरण हो। फील्ड स्तरीय अधिकारियों/ कर्मचारियों में मानवीय संवेदनाओं के प्रति जागरूक कर आम जनता को लाभ पहुचाएं।

(2.3) निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन अधिकारी शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से करा रहे हैं और कौन अधिकारी क्रियान्वयन में शिथिलता बरत रहे हैं। शिथिल व कर्तव्यविमुख अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करायी जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2.4) कार्यालयों के निरीक्षण के उपरान्त नोडल अधिकारी किसी **एक ग्राम** का आकस्मिक निरीक्षण करेगें। निरीक्षण से पूर्व ग्राम में संचालित योजनाओं का विवरण जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान ग्राम में एक खुली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के भौतिक कार्यों एवं लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा तथा एक वर्ष की अवधि में आयोजित तहसील/थाना समाधान दिवसों एवं आई0जी0आर0एस0 पोर्टल/सी0एम0 हेल्पलाइन पर प्राप्त समस्त प्रकार की शिकायतों का विवरण जिलाधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके निस्तारण की पुष्टि रैण्डम आधार पर नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2.5) नोडल अधिकारी जनपद भ्रमण के दौरान व्यक्तियों का राशन कार्ड न मिलना, पेंशन प्रकरण लम्बित रहना, तहसीलों, विकास खण्डों एवं थानों में लोगों की सुनवाई न होने की शिकायतों का निस्तारण कराएं तथा कार्मिकों को आमजन के प्रति व्यवहार में बदलाव हेतु निर्देशित करें।

(2.6) नोडल अधिकारी जनपद भ्रमण के दौरान आम जनता की समस्याओं का समाधान कराएं तथा जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनसे फीड बैक प्राप्त कर प्रभावी कार्यवाही कराएं।

(2.7) नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता विद्यालयों में जाकर अवश्य देखी जाए। यह भी सुनिश्चित कराएं कि छात्र/छात्राओं को यूनीफार्म, किताबें आदि का समय से वितरण हो। कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके।

(2.8) नोडल अधिकारी द्वारा नगर निगम, नगर पालिका अथवा नगर पंचायत के किसी एक वार्ड का निरीक्षण किया जाएगा। स्मार्ट सिटी एवं अमृत योजना के अन्तर्गत नगर निकायों में आवश्यकतानुसार पूर्वनिर्मित पार्कों को विकसित कराने तथा नए पार्कों को बनाए जाने की कार्य योजना तैयार करायी जाएगी। पार्कों के सौन्दर्यीकरण हेतु जनसहयोग प्राप्त करने हेतु जनता को प्रेरित किया जाए।

(2.9) शहरों की मलिन बस्तियों का निरीक्षण किया जाएगा तथा वहाँ साफ-सफाई हेतु जनता को प्रेरित किया जाए। आवश्यकतानुसार मलिन बस्तियों में महिला/पुरूष शौचालयों, स्नानागार तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बनाए जाने हेतु सम्बन्धित नगर निकायों को निर्देशित किया जाए।

(2.10) जनपदों में ऐतिहासिक इमारतों तथा पौराणिक स्थलों पर एल0ई0डी0 लाइटिंग की व्यवस्था करायी जाए।

(2.11) प्लास्टिक पालीथीन के उपयोग पर चरणबद्ध रूप से प्रतिबन्ध दिनांक 15 जुलाई, 2018 से लागू कर दिया गया है। नोडल अधिकारी द्वारा प्लास्टिक पालीथीन के उपयोग पर प्रतिबन्ध के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए।

(2.12) नोडल अधिकारी द्वारा रात्रि में नगरीय भ्रमण कर शहर की सामान्य वस्तुस्थिति ज्ञात की जाए।

(2.13) सार्वजनिक स्थलों पर पान/गुटखा/तम्बाकू/पान मसाला पूर्णतः प्रतिबन्धित है। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2.14) जनपद के ग्रामों अथवा कस्बों में लगने वाले हाटों की आवश्यकतानुसार जगह चिन्हित कराकर मण्डी परिषद के सहयोग से फुटकर विक्रेताओं के लिए पेयजल/शौचालय/चबूतरे आदि की व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार कराएं।

(2.15) श्मशान घाटों की साफ-सफाई, मार्ग व्यवस्था तथा लोगों के बैठने हेतु शेड की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दिए जाएं।

(2.16) डायल 100, 181 एवं 1090 के सम्यक प्रचार-प्रसार की जानकारी नोडल अधिकारी द्वारा जनता से ज्ञात की जाए। इन नम्बरों को जनता द्वारा कब डायल करना है इसका प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि इसका दुरूपयोग न हो।

(2.17) भारत सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का प्रचार-प्रसार वाल पेंटिंग इत्यादि के माध्यम से कराया जाए।

(2.18) निराश्रित गोवंश से कृषकों को हो रही हानि से निजात दिलाने हेतु मनरेगा के अन्तर्गत जनपद में गौशाला बनवाई जाए। इस कार्य को जनसहभागिता के माध्यम से कराए जाने हेतु जनता को प्रेरित किया जाए।

(2.19) नोडल अधिकारी द्वारा जनपद में सड़क सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। सड़क सुरक्षा हेतु साइन बोर्ड लगवाए जाएं एवं एकीकृत परिवहन प्रबन्ध प्रणाली (Integrated transport management system) के अन्तर्गत कार्यवाही करायी जाए।

(2.20) नोडल अधिकारी जनपद भ्रमण के **दूसरे दिन** अधिकारियों के साथ जनपद मुख्यालय पर योजनाओं की **समीक्षा बैठक** करेंगे। जनपद पर समीक्षा बैठक (आलेख के साथ संलग्नक-2 में उल्लिखित कार्यक्रमों से) सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। संलग्न योजनाओं के अतिरिक्त नोडल अधिकारी द्वारा अपने विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है। शिथिलता पाए जाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

(2.21) बैठक समाप्ति के पश्चात नोडल अधिकारी द्वारा विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं विशेष रूप से बड़ी लागत की कम से कम दो परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता के साथ-साथ कार्य पूर्ण करने की समयबद्धता की समीक्षा भी अवश्य की जाये। निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी अपने साथ जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी अभियन्ताओं की टीम साथ लेकर जायेंगे। उक्त टीम में उस विभाग के अभियन्ता शामिल नहीं किये जायेंगे, जिस विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया जाना हो, परन्तु उस विभाग के उत्तरदायी अधिकारी निरीक्षण के समय अवश्य उपस्थित रहेंगे।

3. जनपद भ्रमण के दौरान नोडल अधिकारी सभी एजेण्डा बिन्दुओं पर फोकस करेंगे, परन्तु एजेण्डा बिन्दुओं की संलग्न सूची-2 के कॉलम-4 में अंकित माह में कालम के सम्मुख उल्लिखित एजेण्डा बिन्दु/बिन्दुओं पर विशेष रूप से फोकस करेंगे। इन एजेण्डा बिन्दु/बिन्दुओं की निरीक्षण आख्या कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट पर **पंचम खण्ड** में अपलोड करायी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. जनपद हेतु नामित मा0 प्रभारी मंत्री द्वारा माह के चतुर्थ सप्ताह में जनपद की समीक्षा की जाएगी। नोडल अधिकारी द्वारा माह के द्वितीय सप्ताह में जनपद में किए गए निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट मा0 प्रभारी मंत्री को उपलब्ध करायी जाएगी। मा0 प्रभारी मंत्री द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मा0 प्रभारी मंत्री द्वारा की गई समीक्षा की रिपोर्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट upkkv.in पर अपलोड करायी जाएगी। इस हेतु यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड पृथक से प्रेषित किए जाएंगें।

5. (क)नोडल अधिकारी के जनपद भ्रमण के दौरान प्रवास, वाहन सुरक्षा एवं वांछित लिपिकीय सहयोग आदि की समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी।

   (ख)जनपद की सभी प्रमुख परियोजनाओं, कार्यों, योजनाओं व प्राथमिकताओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने तथा इन योजनाओं का लाभ जनता को ससमय उपलब्ध कराए जाने हेतु नोडल अधिकारी जनपद एवं शासन के मध्य सेतु की भॉति कार्य करेगें। भ्रमण के दौरान जनता द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि किसी कार्यक्रम/योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में जनपद एवं शासन स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक का समाधान तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित करेगें। नोडल अधिकारी आवंटित जनपद के विकास में अहम भूमिका निभायेंगे।

   (ग)नोडल अधिकारियों का स्थानान्तरण वर्तमान पद से किसी अन्य पद (मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी पद को छोड़कर) पर होने के बाद भी अधिकारी को आवंटित जनपद यथावत रहेगें। मण्डलायुक्त को आवंटित जनपद पदनाम से यथावत बने रहेगें।

6. नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में एकरूपता लाने हेतु निरीक्षण आख्या को **पॉच खण्डों** यथा **प्रथम खण्ड, द्वितीय खण्ड, तृतीय खण्ड, चतुर्थ खण्ड एवं पंचम खण्ड** में विभक्त किया जाए। निरीक्षण आख्या के **प्रथम खण्ड** में बैठक की समीक्षा, **द्वितीय खण्ड** में परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण, **तृतीय खण्ड** में कार्यालयों का निरीक्षण, **चतुर्थ खण्ड** में ग्राम का भ्रमण/निरीक्षण एवं **पंचम खण्ड** में विशेष रूप से फोकस किए गए एजेण्डा बिन्दु/बिन्दुओं की निरीक्षण आख्या अपलोड करेंगे। निरीक्षण आख्या कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के वेबसाइट upkkv.in पर माह के तृतीय सप्ताह तक अवश्य अपलोड करा दी जाए। निरीक्षण आख्या में इंगित बिन्दुओं पर अनुपालन प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कराया जाएगा। इस संबंध में सभी प्रशासकीय विभागों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड शासनादेश संख्याः1806/31-2017-65/2014टी0सी0 दिनांकः16.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

मुख्य सचिव।

संख्या-3/2019/1422(1)/31-2019-65/2014टी0सी0 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन
6. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)

विशेष सचिव।

संख्या-3/2019/1422(2)/31-2019-65/2014टी0सी0 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस उपमहानिरीक्षक (परिक्षेत्र) उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया शासनादेश के साथ संलग्नक-2 में उल्लिखित योजनाओं हेतु निर्धारित प्रारूपों पर समीक्षा कराना सुनिश्चित करें। प्रारूपों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)

विशेष सचिव।

संख्या-3/2019/1422(3)/31-2019-65/2014टी0सी0 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं मा0 राज्य मंत्री उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मा0 मंत्री जी को तद्नुसार निरीक्षण करने हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-1

क्र.सं.	मण्डल		जनपद	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित नोडल अधिकारी
1	प्रयागराज	1	प्रयागराज	डॉ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा
		2	फतेहपुर	श्री भुवनेश कुमार, सचिव, वित्त
		3	प्रतापगढ़	डॉ0 आशीष कुमार, मण्डलायुक्त, प्रयागराज
		4	कौशाम्बी	श्री सन्तोष कुमार यादव, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु
2	वाराणसी	5	वाराणसी	श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परियोजना निदेशक, राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण एवं राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)
		6	जौनपुर	श्री के0 रवीन्द्र नायक, सचिव एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास
		7	चन्दौली	श्री दीपक अग्रवाल, मण्डलायुक्त, वाराणसी
		8	गाजीपुर	श्री समीर वर्मा, सचिव, लोक निर्माण
3	विध्यांचल	9	मिर्जापुर	श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, परिवहन
		10	सोनभद्र	श्री पंकज कुमार, मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 एवं अधिशासी निदेशक, सिफ्सा तथा परियोजना निदेशक, यू0पी0 एड्स कंट्रोल सोसॉयटी तथा सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		11	संत रविदासनगर - भदोही	श्री आनंद कुमार सिंह, मण्डलायुक्त, विध्यांचल
4	आजमगढ़	12	आजमगढ़	श्री रंजन कुमार, सचिव, लोक निर्माण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		13	बलिया	श्रीमती कनक त्रिपाठी, मण्डलायुक्त, आजमगढ़
		14	मऊ	श्री एस0वी0एस0 रंगाराव, निबन्धक, सहकारी समितियां
5	गोरखपुर	15	गोरखपुर	श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन
		16	देवरिया	श्री राजन शुक्ला, प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन
		17	कुशीनगर	श्री महेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, प्रबन्ध निदेशक, पिकप एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी लीडा
		18	महाराजगज	श्री जयंत नार्लिकर, मण्डलायुक्त, गोरखपुर
6	बस्ती	19	बस्ती	श्री संजय आर0 भूसरेड्डी, प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, आयुक्त, गन्ना तथा निवेश आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आबकारी
		20	संतकबीरनगर	श्री अनिल कुमार-द्वितीय, प्रमुख सचिव, होमगार्ड
		21	सिद्धार्थनगर	श्री अनिल कुमार सागर, मण्डलायुक्त, बस्ती
7	देवीपाटन	22	गोण्डा	श्री सुधीर महादेव बोबड़े, श्रमायुक्त, कानपुर
		23	बलरामपुर	श्री महेन्द्र कुमार, मण्डलायुक्त, देवीपाटन
		24	श्रावस्ती	श्री आर0 रमेश कुमार, सचिव, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा
		25	बहराइच	श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा
8	अयोध्या	26	अयोध्या	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		27	अम्बेडकरनगर	श्री मनोज मिश्रा, मण्डलायुक्त, अयोध्या
		28	बाराबंकी	श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद
		29	सुल्तानपुर	श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, विशेष कार्याधिकारी, नोएडा, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज एवं निदेशक, समुदाय परियोजना, उ0प्र0
		30	अमेठी	श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग, प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन तथा विशेष कार्याधिकारी नोएडा
9	लखनऊ	31	लखनऊ	डॉ0 प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव, आयुष एवं विशेष कार्याधिकारी नोएडा
		32	रायबरेली	श्रीमती आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं विशेष कार्याधिकारी नोएडा
		33	हरदोई	श्रीमती डिम्पल वर्मा, प्रमुख सचिव, युवा कल्याण तथा महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल
		34	उन्नाव	श्रीमती बीना कुमारी मीना, प्रमुख सचिव, स्टॉम्प एवं पंजीयन, भूतत्व एवं खनिकर्म
		35	सीतापुर	श्रीमती मिनिष्ती एस0, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा महानिरीक्षक, निबंधन
		36	खीरी	श्री मुकेश कुमार मेश्राम, मण्डलायुक्त, लखनऊ
10	कानपुर	37	कानपुर नगर	श्रीमती कल्पना अवस्थी, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण
		38	कानपुर देहात	श्री आलोक कुमार-प्रथम, प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, अध्यक्ष पॉवर कार्पोरेशन, उ0प्र0, राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं पारेषण निगम
		39	फर्रूखाबाद	श्री अजय कुमार सिंह-प्रथम, सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		40	इटावा	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, मण्डलायुक्त, कानपुर
		41	औरैया	श्री महेश कुमार गुप्ता, आयुक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण, अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 सचिवालय प्रशासन
		42	कन्नौज	श्री अनिल गर्ग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर
11	चित्रकूट धाम	43	बॉदा	श्री मनीष चौहान, आयुक्त, खाद्य एवं रसद
		44	महोबा	श्री शरद कुमार सिंह, मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम
		45	हमीरपुर	श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास
		46	चित्रकूट	श्री पी0 गुरू प्रसाद, आयुक्त आबकारी, प्रयागराज
12	झॉसी	47	झॉसी	श्री सुरेश चन्द्र, प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन
		48	जालौन	श्री धीरज साहू, आयुक्त, परिवहन
		49	ललितपुर	श्रीमती कुमुदलता श्रीवास्तव, मण्डलायुक्त, झॉसी
13	आगरा	50	आगरा	श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		51	मथुरा	श्री एम0वी0एस0 रामी रेड्डी, प्रमुख सचिव, सहकारिता
		52	फिरोजबाद	श्री अजय चौहान, आयुक्त, आवास एवं निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण
		53	मैनपुरी	श्री अनिल कुमार-तृतीय, मण्डलायुक्त, आगरा
14	अलीगढ़	54	अलीगढ़	श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण
		55	हाथरस	श्री गौरी शंकर प्रियदर्शी, सचिव, राजस्व, राहत आयुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		56	एटा	श्रीमती अपर्णा यू0,प्रबन्ध निदेशक, जल विद्युत निगम, उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन लि0
		57	कासगंज	श्री अजयदीप सिंह, मण्डलायुक्त, अलीगढ़
15	बरेली	58	बरेली	श्री नवनीत कुमार सहगल, प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन
		59	बदायूँ	श्री रणवीर प्रसाद, मण्डलायुक्त, बरेली
		60	पीलीभीत	श्रीमती वी0 हेकाली झिमोमी, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		61	शाहजहाँपुर	श्री जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय, भाषा, संस्कृति, प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा प्रबन्धन, राष्ट्रीय एकीकरण
16	मुरादाबाद	62	मुरादाबाद	श्री मनोज सिंह, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ एवं निदेशक, जनजाति विकास
		63	सम्भल	श्री भगेलू राम शास्त्री, आयुक्त, चकबन्दी
		64	रामपुर	श्री विकास गोठलवाल, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम
		65	बिजनौर	श्री यशवन्त राव, मण्डलायुक्त, मुरादाबाद
		66	अमरोहा	डॉ0 सेन्थिल पॉडियन सी0, प्रबन्ध निदेशक, राज्य विद्युत उत्पादन निगम व पारेषण निगम
17	मेरठ	67	मेरठ	श्री राजेश कुमार सिंह-प्रथम, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सार्वजनिक उद्यम एवं महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम
		68	गाजियाबाद	श्री नरेन्द्र भूषण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा
		69	हापुड़	श्रीमती रितु माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		70	गौतमबुद्धनगर	श्रीमती एस0 राधा चौहान, प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा
		71	बुलन्दशहर	श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव, उद्यान, खाद्य एवं प्रसंस्करण
		72	बागपत	श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम, मण्डलायुक्त, मेरठ
18	सहारनपुर	73	सहारनपुर	श्री बाबूलाल मीना, प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास, मत्स्य, समन्वय, पशुधन, आयुक्त दुग्ध, प्रबन्ध निदेशक पीसीडीएफ एवं परियोजना समन्वयक डास्प, लखनऊ
		74	मुजफ्फरनगर	श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार
		75	शामली	श्री संजय कुमार, मण्डलायुक्त, सहारनपुर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु	विभाग	माह
1	2	3	4
1	कानून-व्यवस्था	गृह	अक्टूबर
	A महिला अपराध पर प्रभावी नियन्त्रण		
	B यातायात व्यवस्था		
	C अपराधियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही		
	D भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही-		
	E अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही		
2	निराश्रित गोवंश हेतु गो आश्रय स्थल के निर्माण/ संचालन	पशुधन	नवम्बर
3	आयुष्मान भारत योजना	चिकित्सा स्वास्थ्य	नवम्बर
4	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना/राशन कार्ड/न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान क्रय	खाद्य एवं रसद	दिसम्बर
5	गन्ना मूल्य भुगतान	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	दिसम्बर
6	स्वच्छता कार्यक्रम/ स्वच्छ भारत मिशन/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग	पंचायतीराज/नगर विकास	जनवरी
7	प्रधानमंत्री आवास योजना	ग्राम्य विकास/नगर विकास	जनवरी
8	A मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	ग्राम्य विकास	जनवरी
	B राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)		
	C पेयजल योजना		
9	ओ0डी0आर0/एम0डी0आर0/राज्य मार्ग अनुरक्षण/ नई सड़कों का निर्माण	लोक निर्माण/नगर विकास	फरवरी
10	A मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (शादी अनुदान)	समाज कल्याण/ महिला कल्याण/ पिछड़ा वर्ग कल्याण/ दिव्यांगजन	मार्च
	B समस्त पेंशन योजना/ समस्त छात्रवृत्ति योजना		
	C कन्या सुमंगला योजना		
11	आई0सी0डी0एस0 (पोषण अभियान)	बाल विकास एवं पुष्टाहार	मार्च
12	शिक्षा की गुणवत्ता/ छात्र-छात्राओं का नामांकन बढ़ाया जाना	बेसिक शिक्षा	अप्रैल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13	A ट्रांसफारमर का प्रतिस्थापन B विद्युत आपूर्ति C विद्युत बिल से सम्बन्धित जन समस्याओं का निराकरण	ऊर्जा	मई
14	A नहरों एवं राजकीय नलकूपों से सिंचित की जा रही भूमि B नहरों की सफाई/पानी की उपलब्धता	सिंचाई/लघु सिंचाई	जून
15	राजस्व वादों का निस्तारण	राजस्व	जुलाई
16	A प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना B प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना C खाद एवं बीज की उपलब्धता एवं वितरण	कृषि	अगस्त
17	एक जनपद एक उत्पाद योजना (ओ0डी0ओ0पी0) /एम0ओ0यू0 का क्रियान्वयन	सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम/औद्योगिक विकास	सितम्बर
18	50 लाख से अधिक लागत की अधूरी परियोजनाओं की स्थिति (सड़कों को छोड़कर)	नियोजन	सितम्बर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।